

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF MALAYSIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

ON

**CO-OPERATION IN THE FIELD OF PUBLIC ADMINISTRATION AND
GOVERNANCE REFORMS**

THE GOVERNMENT OF MALAYSIA as represented by the Public Service Department, Prime Minister's Department and **THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA** as represented by the Department of Administrative Reforms & Public Grievances, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (hereinafter referred to individually as "the Participant" and collectively as "the Participants",

RECOGNISING the existing friendly relations between the two countries;

DESIRING to strengthen and further develop bilateral co-operation between the two countries in the field of Public Administration and Governance Reforms,

HAVE REACHED THE FOLLOWING UNDERSTANDINGS:

PARAGRAPH 1

Objective

The Participants, subject to the provisions of this Memorandum of Understanding and the laws, rules, regulations and national policies from time to time in force in their respective countries, will endeavour to strengthen, promote and develop co-operation in the field of Public Administration and Governance Reforms between the two countries on the basis of reciprocity and mutual benefit.

PARAGRAPH 2

Areas of Co-operation

Each Participant will, subject to the laws, rules, regulations and national policies from time to time in force, governing the subject matter in their respective countries, endeavour to take necessary steps to encourage and promote co-operation in the following areas:

- (a) Providing Citizen Centric Services through digital platform;
- (b) Government Process Simplification and Re-engineering for effective delivery of public services through digital platform;
- (c) Promoting Transparency and Accountability in delivery of public services;
- (d) Human Resource Management/Leadership Development;
- (e) Public Sector Management and Reforms;
- (f) Public Grievance Redress Mechanisms;
- (g) E-Governance/ Digital Government; and
- (h) Any other areas of co-operation in the field of Public Administration and Governance Reforms to be jointly decided by the Participants in accordance with the Objective of this Memorandum of Understanding as stipulated in Paragraph 1.

PARAGRAPH 3

Forms of Co-operation

1. The Participants mutually decide that the forms of co-operation under this Memorandum of Understanding will be carried out through the following forms:
 - (a) study visits for the Participants' public service officer to exchange information and experience in areas of common interest;
 - (b) exchange of information by the Participants' experts in the field of Public Administration and Governance Reforms;
 - (c) co-operation between training institutes of the Participants in the training of public service officer;
 - (d) establishment of joint projects, joint comparative research, and other joint mechanisms, as the Participants may agree upon;

- (e) facilitate short-term foreign training programmes for the Participants' officer; and
 - (f) such other forms within the purview of this Memorandum of Understanding as the Participants may agree upon.
2. The details and arrangements for the collaborative activities will be jointly determined by the Participants' relevant Government agencies.
 3. The Participants will review the areas of common interest and the progress of various forms of co-operation periodically.

PARAGRAPH 4

Implementation

1. A Joint Working Group on Public Administration and Governance Reforms (hereinafter referred to as the "Working Group"), responsible for the implementation of co-operation will be established.
2. The members of the Working Group will include--
 - (a) **The Government of the Republic of India** – officials from the Department of Administrative Reforms and Public Grievances, the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions and concerned line Ministry of Government of India; and
 - (b) **The Government of Malaysia** – officials from the Public Service Department, Prime Minister's Department, Government of Malaysia.
3. The Working Group may also invite experts or other qualified persons in the field of Public Administration and Governance Reforms to attend their meetings for specific purposes, as jointly approved by the Participants.
4. The Working Group will convene as and when required in the manner agreed by the Participants, including teleconference, video conference or face-to-face meeting. Meetings will be jointly chaired by way of co-chairmanship and responsibility for secretariat assistance will be provided by the host Participant.

5. The Participants will agree on the Participants' responsibility for the preparation of the Working Group meeting minutes and the coordination and liaison, including the preparation of the agreed agenda for its next meeting. Each Participant will designate a contact person for coordination and liaison with the work of the Working Group.

PARAGRAPH 5

Financial Arrangements

1. The financial arrangements to cover expenses for the co-operation activities undertaken within the framework of this Memorandum of Understanding will be mutually decided upon by the respective Participants on a case-by-case basis subject to the availability of funds.
2. Unless otherwise mutually decided by the Participants—
 - (a) the expenditures incurred for international and local travel, accommodation, salary, subsistence, and other local and incidental expenses in connection with the collaborative activities arising from the implementation of this Memorandum of Understanding will be borne by each Participant;
 - (b) the host Participant will assist with the logistical arrangements for local travel and accommodation;
 - (c) the expenses for organizing the meetings of the Working Group will be borne by the Participant hosting the meetings; and
 - (d) the expenditures incurred for any documents or materials exchanged in connection with the collaborative activities arising from the implementation of this Memorandum of Understanding will be borne by the requesting Participant.

PARAGRAPH 6

Protection of Intellectual Property Rights

1. The protection of intellectual property rights shall be enforced in conformity with the respective national laws, rules and regulations of the Participants and with other international agreements signed by both Participants.
2. The use of the name, logo and / or official emblem of any of the Participants on any publication, document and / or paper is prohibited without the prior written approval of either Participant.
3. Notwithstanding anything in sub-paragraph 1 above, the intellectual property rights in respect of any technological development, products and services development, carried out—
 - (a) jointly by the Participants or research results obtained through the joint activity effort of the Participants, shall be jointly owned by the Participants in accordance with the terms to be mutually agreed upon; and
 - (b) solely and separately by the Participant or the research results obtained through the sole and separate effort of the Participant, shall be solely owned by the Participant concerned.

PARAGRAPH 7

Confidentiality

1. Each Participant shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received from, or supplied to, the other Participant during the period of the implementation of this Memorandum of Understanding or any other agreements made pursuant to this Memorandum of Understanding.
2. Both Participants agree that the provisions of this Paragraph shall continue to be binding between the Participants notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding.

PARAGRAPH 8

Suspension

1. A participant may for reasons of national security, national interest, public order or public health, suspend temporarily, either in whole or in part, the implementation of this Memorandum of Understanding.
2. The suspension shall take effect thirty (30) days after written notification through the diplomatic channel or on the date of the notice if the suspending Participant considers the immediate suspension essential.
3. The suspending Participant may terminate the suspension by written notification through the diplomatic channels.
4. The termination of suspension shall take effect thirty (30) days after the written notification referred to in paragraph 3 or such earlier date as the Participants agree in an Exchange of Notes through the diplomatic channels.

PARAGRAPH 9

Revision, Modification or Amendment

1. Either Participant may request in writing a revision, modification or amendment of all or any part of this Memorandum of Understanding.
2. Any revision, modification or amendment agreed to by the Participants shall be reduced into writing and shall form part of this Memorandum of Understanding.
3. Such revision, modification or amendment shall enter into force on such date as may be determined by the Participants.
4. Any revision, modification or amendment shall not prejudice the benefits and commitments arising from or based on this Memorandum of Understanding before or up to the date of such revision, modification or amendment.

PARAGRAPH 10

Settlement of Disputes

Any difference or dispute between the Participants concerning the interpretation and/or implementation and/or application of any of the provisions of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through mutual consultation and/or negotiations between the Participants through diplomatic channels, without reference to any third party or international tribunal.

PARAGRAPH 11

Effect of Memorandum of Understanding

1. This Memorandum of Understanding serves only as a record of the Participants' intentions and does not constitute or create obligations under international or domestic law and will not give rise to any legal process and will not be deemed to constitute or create any legally binding or enforceable obligations, express or implied.
2. Notwithstanding anything in sub-paragraph 1 above, Paragraph 6 (Protection of Intellectual Property Rights), Paragraph 7 (Confidentiality), Paragraph 8 (Suspension), Paragraph 9 (Revision, Modification or Amendment) and Paragraph 10 (Settlement of Disputes) shall be binding on the Participants.

PARAGRAPH 12


Entry into Effect, Duration and Termination

1. This Memorandum of Understanding will enter into effect on the date of signing and will remain in effect for a period of five (5) years.
2. Thereafter, this Memorandum of Understanding may be extended for any further period by notice in writing through the diplomatic channel.
3. Notwithstanding anything in this Memorandum of Understanding, either Participant may terminate this Memorandum of Understanding by notifying the other Participant of its intention to terminate this Memorandum of Understanding by a notice in writing through diplomatic channels, at least six (6) months prior to the intended date of termination.
4. The termination of this Memorandum of Understanding will not prevent the completion of the co-operation activities that might have been formalized prior to the date of the termination of this Memorandum of Understanding, unless otherwise decided.

The foregoing represents the understanding reached between the Government of Malaysia and the Government of the Republic of India upon the matters referred to therein.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.

Signed in duplicate at **New Delhi** on 20th August in the year **2024** in two (2) original copies, each in Malay, Hindi and English languages, all texts having equal validity. In the event of any divergence in interpretation between any of the texts, the English text shall prevail.



**FOR THE GOVERNMENT OF
MALAYSIA**

**Name: Dato' Sri Wan Ahmad
Dahlan Haji Abdul Aziz
Designation: Director –
General of Public Service
Malaysia**

**Department: Public Service
Department**

**Ministry: Prime Minister's
Department
Government of Malaysia**



**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA
(Ministry of Personnel, Public
Grievances and Pensions of the
Republic of India)**

Name: V. Srinivas

Designation: Secretary

**Department: Department of
Administrative Reforms &
Public Grievances**

**Ministry: Ministry of Personnel,
Public Grievances and
Pensions
Republic of India**

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF MALAYSIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

ON

**CO-OPERATION IN THE FIELD OF PUBLIC ADMINISTRATION AND
GOVERNANCE REFORMS**

THE GOVERNMENT OF MALAYSIA as represented by the Public Service Department, Prime Minister's Department and **THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA** as represented by the Department of Administrative Reforms & Public Grievances, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (hereinafter referred to individually as "the Participant" and collectively as "the Participants",

RECOGNISING the existing friendly relations between the two countries;

DESIRING to strengthen and further develop bilateral co-operation between the two countries in the field of Public Administration and Governance Reforms,

HAVE REACHED THE FOLLOWING UNDERSTANDINGS:

PARAGRAPH 1

Objective

The Participants, subject to the provisions of this Memorandum of Understanding and the laws, rules, regulations and national policies from time to time in force in their respective countries, will endeavour to strengthen, promote and develop co-operation in the field of Public Administration and Governance Reforms between the two countries on the basis of reciprocity and mutual benefit.

PARAGRAPH 2

Areas of Co-operation

Each Participant will, subject to the laws, rules, regulations and national policies from time to time in force, governing the subject matter in their respective countries, endeavour to take necessary steps to encourage and promote co-operation in the following areas:

- (a) Providing Citizen Centric Services through digital platform;
- (b) Government Process Simplification and Re-engineering for effective delivery of public services through digital platform;
- (c) Promoting Transparency and Accountability in delivery of public services;
- (d) Human Resource Management/Leadership Development;
- (e) Public Sector Management and Reforms;
- (f) Public Grievance Redress Mechanisms;
- (g) E-Governance/ Digital Government; and
- (h) Any other areas of co-operation in the field of Public Administration and Governance Reforms to be jointly decided by the Participants in accordance with the Objective of this Memorandum of Understanding as stipulated in Paragraph 1.

PARAGRAPH 3

Forms of Co-operation

1. The Participants mutually decide that the forms of co-operation under this Memorandum of Understanding will be carried out through the following forms:
 - (a) study visits for the Participants' public service officer to exchange information and experience in areas of common interest;
 - (b) exchange of information by the Participants' experts in the field of Public Administration and Governance Reforms;
 - (c) co-operation between training institutes of the Participants in the training of public service officer;
 - (d) establishment of joint projects, joint comparative research, and other joint mechanisms, as the Participants may agree upon;

- (e) facilitate short-term foreign training programmes for the Participants' officer; and
 - (f) such other forms within the purview of this Memorandum of Understanding as the Participants may agree upon.
2. The details and arrangements for the collaborative activities will be jointly determined by the Participants' relevant Government agencies.
 3. The Participants will review the areas of common interest and the progress of various forms of co-operation periodically.

PARAGRAPH 4

Implementation

1. A Joint Working Group on Public Administration and Governance Reforms (hereinafter referred to as the "Working Group"), responsible for the implementation of co-operation will be established.
2. The members of the Working Group will include--
 - (a) **The Government of the Republic of India** – officials from the Department of Administrative Reforms and Public Grievances, the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions and concerned line Ministry of Government of India; and
 - (b) **The Government of Malaysia** – officials from the Public Service Department, Prime Minister's Department, Government of Malaysia.
3. The Working Group may also invite experts or other qualified persons in the field of Public Administration and Governance Reforms to attend their meetings for specific purposes, as jointly approved by the Participants.
4. The Working Group will convene as and when required in the manner agreed by the Participants, including teleconference, video conference or face-to-face meeting. Meetings will be jointly chaired by way of co-chairmanship and responsibility for secretariat assistance will be provided by the host Participant.

5. The Participants will agree on the Participants' responsibility for the preparation of the Working Group meeting minutes and the coordination and liaison, including the preparation of the agreed agenda for its next meeting. Each Participant will designate a contact person for coordination and liaison with the work of the Working Group.

PARAGRAPH 5

Financial Arrangements

1. The financial arrangements to cover expenses for the co-operation activities undertaken within the framework of this Memorandum of Understanding will be mutually decided upon by the respective Participants on a case-by-case basis subject to the availability of funds.
2. Unless otherwise mutually decided by the Participants—
 - (a) the expenditures incurred for international and local travel, accommodation, salary, subsistence, and other local and incidental expenses in connection with the collaborative activities arising from the implementation of this Memorandum of Understanding will be borne by each Participant;
 - (b) the host Participant will assist with the logistical arrangements for local travel and accommodation;
 - (c) the expenses for organizing the meetings of the Working Group will be borne by the Participant hosting the meetings; and
 - (d) the expenditures incurred for any documents or materials exchanged in connection with the collaborative activities arising from the implementation of this Memorandum of Understanding will be borne by the requesting Participant.

PARAGRAPH 6

Protection of Intellectual Property Rights

1. The protection of intellectual property rights shall be enforced in conformity with the respective national laws, rules and regulations of the Participants and with other international agreements signed by both Participants.
2. The use of the name, logo and / or official emblem of any of the Participants on any publication, document and / or paper is prohibited without the prior written approval of either Participant.
3. Notwithstanding anything in sub-paragraph 1 above, the intellectual property rights in respect of any technological development, products and services development, carried out—
 - (a) jointly by the Participants or research results obtained through the joint activity effort of the Participants, shall be jointly owned by the Participants in accordance with the terms to be mutually agreed upon; and
 - (b) solely and separately by the Participant or the research results obtained through the sole and separate effort of the Participant, shall be solely owned by the Participant concerned.

PARAGRAPH 7

Confidentiality

1. Each Participant shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received from, or supplied to, the other Participant during the period of the implementation of this Memorandum of Understanding or any other agreements made pursuant to this Memorandum of Understanding.
2. Both Participants agree that the provisions of this Paragraph shall continue to be binding between the Participants notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding.

PARAGRAPH 8

Suspension

1. A participant may for reasons of national security, national interest, public order or public health, suspend temporarily, either in whole or in part, the implementation of this Memorandum of Understanding.
2. The suspension shall take effect thirty (30) days after written notification through the diplomatic channel or on the date of the notice if the suspending Participant considers the immediate suspension essential.
3. The suspending Participant may terminate the suspension by written notification through the diplomatic channels.
4. The termination of suspension shall take effect thirty (30) days after the written notification referred to in paragraph 3 or such earlier date as the Participants agree in an Exchange of Notes through the diplomatic channels.

PARAGRAPH 9

Revision, Modification or Amendment

1. Either Participant may request in writing a revision, modification or amendment of all or any part of this Memorandum of Understanding.
2. Any revision, modification or amendment agreed to by the Participants shall be reduced into writing and shall form part of this Memorandum of Understanding.
3. Such revision, modification or amendment shall enter into force on such date as may be determined by the Participants.
4. Any revision, modification or amendment shall not prejudice the benefits and commitments arising from or based on this Memorandum of Understanding before or up to the date of such revision, modification or amendment.

PARAGRAPH 10

Settlement of Disputes

Any difference or dispute between the Participants concerning the interpretation and/or implementation and/or application of any of the provisions of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through mutual consultation and/or negotiations between the Participants through diplomatic channels, without reference to any third party or international tribunal.

PARAGRAPH 11

Effect of Memorandum of Understanding

1. This Memorandum of Understanding serves only as a record of the Participants' intentions and does not constitute or create obligations under international or domestic law and will not give rise to any legal process and will not be deemed to constitute or create any legally binding or enforceable obligations, express or implied.
2. Notwithstanding anything in sub-paragraph 1 above, Paragraph 6 (Protection of Intellectual Property Rights), Paragraph 7 (Confidentiality), Paragraph 8 (Suspension), Paragraph 9 (Revision, Modification or Amendment) and Paragraph 10 (Settlement of Disputes) shall be binding on the Participants.

PARAGRAPH 12

Entry into Effect, Duration and Termination

1. This Memorandum of Understanding will enter into effect on the date of signing and will remain in effect for a period of five (5) years.
2. Thereafter, this Memorandum of Understanding may be extended for any further period by notice in writing through the diplomatic channel.
3. Notwithstanding anything in this Memorandum of Understanding, either Participant may terminate this Memorandum of Understanding by notifying the other Participant of its intention to terminate this Memorandum of Understanding by a notice in writing through diplomatic channels, at least six (6) months prior to the intended date of termination.
4. The termination of this Memorandum of Understanding will not prevent the completion of the co-operation activities that might have been formalized prior to the date of the termination of this Memorandum of Understanding, unless otherwise decided.

The foregoing represents the understanding reached between the Government of Malaysia and the Government of the Republic of India upon the matters referred to therein.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.

Signed in duplicate at **New Delhi** on 20th August in the year **2024** in two (2) original copies, each in Malay, Hindi and English languages, all texts having equal validity. In the event of any divergence in interpretation between any of the texts, the English text shall prevail.



**FOR THE GOVERNMENT OF
MALAYSIA**

**Name: Dato' Sri Wan Ahmad
Dahlan Haji Abdul Aziz
Designation: Director –
General of Public Service
Malaysia**

**Department: Public Service
Department**

**Ministry: Prime Minister's
Department
Government of Malaysia**



**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA
(Ministry of Personnel, Public
Grievances and Pensions of the
Republic of India)**

Name: V. Srinivas

Designation: Secretary

**Department: Department of
Administrative Reforms &
Public Grievances**

**Ministry: Ministry of Personnel,
Public Grievances and
Pensions
Republic of India**

लोक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्र में सहयोग पर

मलेशिया सरकार

और

भारत गणराज्य की सरकार

के बीच

समझौता ज्ञापन

मलेशिया सरकार जिसका प्रतिनिधित्व लोक सेवा विभाग, प्रधान मंत्री विभाग द्वारा किया जा रहा है और भारत गणराज्य की सरकार जिसका प्रतिनिधित्व प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है (तत्पश्चात जिन्हें व्यक्तिगत रूप से "प्रतिभागी" और सामूहिक रूप से "प्रतिभागियों" के रूप में संदर्भित किया गया है),

दोनों देशों के बीच मौजूदा मैत्रीपूर्ण संबंधों को स्वीकार करते हुए ;

लोक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने तथा आगे बढ़ाने की आकांक्षा करते हुए,

निम्नलिखित निर्णय पर पहुँचे हैं:

पैराग्राफ 1

उद्देश्य

समझौता ज्ञापन के प्रावधानों और अपने-अपने देशों में समय-समय पर लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और राष्ट्रीय नीतियों के अध्यधीन, प्रतिभागी, पारस्परिकता और आपसी प्रसुविधा के

आधार पर दोनों देशों के बीच लोक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने, बढ़ावा देने और विकसित करने का प्रयास करेंगे।

पैराग्राफ 2

सहयोग के क्षेत्र

प्रत्येक भागीदार, अपने-अपने देशों में विषय-वस्तु को अधिशासित करने वाले, समय-समय पर लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और राष्ट्रीय नीतियों के अध्यक्ष, निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाने का प्रयास करेगा:

- (क) डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिक अभिमुख सेवाएं प्रदान करना;
- (ख) डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं के प्रभावी सुपुर्दगी के लिए सरकारी प्रक्रिया सरलीकरण और पुनर्रचना;
- (ग) सार्वजनिक सेवाओं के सुपुर्दगी में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना;
- (घ) मानव संसाधन प्रबंधन/नेतृत्व विकास;
- (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन और सुधार;
- (च) लोक शिकायत निवारण तंत्र;
- (छ) ई-गवर्नेंस/डिजिटल सरकार; और
- (ज) लोक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्र में सहयोग के अन्य क्षेत्र, जो प्रतिभागियों द्वारा इस समझौता ज्ञापन के उद्देश्य के अनुसार संयुक्त रूप से तय किए जाएंगे, जैसा कि पैरा 1 में निर्धारित किया गया है।

पैराग्राफ 3

सहयोग के रूप

1. प्रतिभागी आपसी सहमति से यह निर्णय लेते हैं कि इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सहयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा:

- (क) साझा हित के क्षेत्रों में सूचना और अनुभव का आदान-प्रदान करने के लिए प्रतिभागियों के सार्वजनिक सेवा अधिकारी के अध्ययन दौरे;

- (ख) लोक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्र में प्रतिभागियों के विशेषज्ञों द्वारा सूचना का आदान-प्रदान;
 - (ग) लोक सेवा अधिकारी के प्रशिक्षण में प्रतिभागियों के प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग;
 - (घ) प्रतिभागियों की सहमति अनुसार, संयुक्त परियोजनाओं, संयुक्त तुलनात्मक अनुसंधान और अन्य संयुक्त तंत्रों की स्थापना;
 - (ङ) प्रतिभागी अधिकारियों के लिए अल्पकालिक विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करना,
 - (च) इस समझौता ज्ञापन के दायरे में ऐसे अन्य प्रपत्र जिन पर भागीदार सहमत हो सकते हैं; तथा
2. सहयोगात्मक गतिविधियों का विवरण और व्यवस्था प्रतिभागियों की संबंधित सरकारी एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित की जाएगी।
3. प्रतिभागी समय-समय पर साझा हित के क्षेत्रों और सहयोग के विभिन्न रूपों की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

पैराग्राफ 4

कार्यान्वयन

1. लोक प्रशासन और शासन सुधार पर एक संयुक्त कार्य दल (जिसे तत्पश्चात “कार्य दल” के रूप में संदर्भित किया गया है।), जो सहयोग के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा, का गठन किया जाएगा।
2. कार्य दल के सदस्यों में शामिल होंगे--

(क) भारत गणराज्य की सरकार- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय के अधिकारी; तथा

(ख) मलेशिया की सरकार - लोक सेवा विभाग, प्रधान मंत्री विभाग के अधिकारी।

3. कार्यकारी दल, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए लोक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्र में विशेषज्ञों या अन्य योग्य व्यक्तियों को भी आमंत्रित कर सकता है, जैसा कि प्रतिभागियों द्वारा संयुक्त रूप से अनुमोदित किया जाएगा।
4. कार्य दल की बैठक, आवश्यकता पड़ने पर, प्रतिभागियों द्वारा सहमत तरीके के अनुसार आयोजित की जाएगी, जिसमें टेलीकांफ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस या आमने-सामने की बैठक शामिल है। बैठकों की अध्यक्षता संयुक्त रूप से सह-अध्यक्षता के माध्यम से की जाएगी और सचिवालय सहायता की जिम्मेदारी मेजबान प्रतिभागी द्वारा निभाई जाएगी।
5. प्रतिभागी कार्य दल की बैठक का कार्यवृत्त तैयार करने तथा समन्वय और संपर्क के लिए प्रतिभागियों की जिम्मेदारी पर सहमत होंगे, जिसमें अगली बैठक के लिए सहमति वाला एजेंडा तैयार करना भी शामिल है। प्रत्येक प्रतिभागी कार्य दल के कार्य के समन्वय और संपर्क के लिए एक संपर्क व्यक्ति को नामित करेगा।

पैराग्राफ 5

वित्तीय व्यवस्था

1. इस समझौता ज्ञापन के ढांचे के भीतर किए गए सहयोगात्मक कार्यकलापों के व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय व्यवस्था, धन की उपलब्धता के अध्याधीन, संबंधित प्रतिभागियों द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर पारस्परिक रूप से तय की जाएगी।
2. जब तक कि प्रतिभागियों द्वारा पारस्परिक रूप से अन्यथा निर्णय न लिया जाए-

- (क) इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन से उत्पन्न सहयोगी गतिविधियों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय यात्रा, आवास, वेतन, निर्वाह, और अन्य स्थानीय और आकस्मिक खर्चों के लिए किए गए व्यय, प्रत्येक भागीदार द्वारा वहन किए जाएंगे;
- (ख) मेजबान प्रतिभागी स्थानीय यात्रा और आवास के लिए रसद व्यवस्था संबंधी सहायता करेगा;
- (ग) कार्य दल की बैठकों के आयोजन का व्यय बैठकों की मेजबानी करने वाले प्रतिभागी द्वारा वहन किया जाएगा; तथा
- (घ) इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन से उत्पन्न सहयोगी गतिविधियों के संबंध में आदान-प्रदान किए गए किसी भी दस्तावेज या सामग्री के लिए किए गए व्यय का वहन अनुरोधकर्ता प्रतिभागी द्वारा किया जाएगा।

पैराग्राफ 6

बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण

1. बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण प्रतिभागियों के संबंधित राष्ट्रीय कानूनों, नियमों और विनियमों तथा दोनों प्रतिभागियों द्वारा हस्ताक्षरित अन्य अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अनुरूप लागू किया जाएगा।
2. किसी भी प्रतिभागी के नाम, लोगो और/या आधिकारिक प्रतीक का किसी भी प्रकाशन, दस्तावेज और/या पेपर पर उपयोग किसी भी प्रतिभागी की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना निषिद्ध है।
3. उप अनुच्छेद 1 में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी प्रौद्योगिक विकास, उत्पादों और सेवाओं के विकास के संबंध में बौद्धिक संपदा अधिकार, जो कि निम्नानुसार किए गए हों -
 - (क) प्रतिभागियों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए शोध या प्रतिभागियों के संयुक्त गतिविधि प्रयास के माध्यम से प्राप्त शोध परिणामों का, पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के अनुसार प्रतिभागियों द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्व होगा; तथा

- (ख) पूर्णतः और अलग से किए गए शोध परिणाम या प्रतिभागी के पूर्णतः और अलग प्रयास से प्राप्त किए गए शोध परिणाम, संबंधित प्रतिभागी के पूर्णतः स्वामित्व में होंगे।

पैराग्राफ 7

गोपनीयता

1. प्रत्येक भागीदार इस समझौता ज्ञापन या इस समझौता ज्ञापन के अनुसरण में किए गए किसी अन्य समझौते के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान दूसरे भागीदार से प्राप्त या उसे प्रदान किए गए दस्तावेजों, सूचनाओं और अन्य आंकड़ों की गोपनीयता और गुप्तता बनाए रखने का वचन देगा।
2. दोनों भागीदार इस बात पर सहमत हैं कि इस अनुच्छेद के प्रावधान, इस समझौता ज्ञापन की समाप्ति के बावजूद प्रतिभागियों के बीच बाध्यकारी बने रहेंगे।

पैराग्राफ 8

स्थगन

1. कोई भी भागीदार, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हित, सार्वजनिक व्यवस्था या सार्वजनिक स्वास्थ्य के कारणों से इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन को अस्थायी रूप से, पूर्णतः या आंशिक रूप से स्थगित कर सकता है।
2. स्थगन, राजनयिक चैनल के माध्यम से लिखित अधिसूचना के तीस (30) दिन बाद या नोटिस की तारीख से प्रभावी होगा, यदि स्थगित करने वाला प्रतिभागी तत्काल स्थगन को आवश्यक समझता है।
3. स्थगित करने वाला प्रतिभागी राजनयिक माध्यम से लिखित अधिसूचना द्वारा स्थगन समाप्त कर सकता है।

4. स्थगन की समाप्ति, अनुच्छेद 3 में उल्लिखित लिखित अधिसूचना के तीस (30) दिन बाद या राजनयिक चैनलों के माध्यम से नोड के आदान-प्रदान में प्रतिभागियों द्वारा सहमत किसी पूर्व तिथि से प्रभावी होगी।

पैराग्राफ 9

परिवर्तन, आशोधन या संशोधन

1. कोई भी भागीदार, इस समझौता ज्ञापन के संपूर्ण या किसी भाग के संशोधन, परिवर्तन या संशोधन का लिखित रूप में अनुरोध कर सकता है।
2. प्रतिभागियों द्वारा सहमत किसी भी संशोधन, परिवर्तन या संशोधन को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और वह इस समझौता ज्ञापन का हिस्सा होगा।
3. ऐसा संशोधन, परिवर्तन या संशोधन उस तिथि से लागू होगा जो प्रतिभागियों द्वारा निर्धारित की जाएगी।
4. किसी भी संशोधन, परिवर्तन या संशोधन से इस समझौता ज्ञापन से उत्पन्न होने वाले या इस पर आधारित लाभों और प्रतिबद्धताओं पर ऐसे संशोधन, परिवर्तन या संशोधन की तिथि से पहले या उस तिथि तक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पैराग्राफ 10

विवादों का निपटारा

समझौता ज्ञापन के किसी भी प्रावधान की व्याख्या और/या कार्यान्वयन और/या लागू होने के संबंध में प्रतिभागियों के बीच कोई मतभेद या विवाद, किसी तीसरे पक्ष या अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के संदर्भ के बिना, राजनयिक चैनलों के माध्यम से प्रतिभागियों के बीच आपसी परामर्श और/या बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा।

पैराग्राफ 11

समझौता ज्ञापन का प्रभाव

1. यह समझौता ज्ञापन केवल प्रतिभागियों के इरादों के अभिलेख के रूप में कार्य करता है तथा यह अंतरराष्ट्रीय या घरेलू कानून के अंतर्गत दायित्वों का गठन या सृजन नहीं करता है, तथा किसी कानूनी प्रक्रिया को जन्म नहीं देगा तथा इसे किसी कानूनी रूप से बाध्यकारी या लागू करने योग्य, व्यक्त या निहित दायित्वों का गठन या सृजन करने वाला नहीं माना जाएगा।
2. उपरोक्त उपपैरा 1 में किसी बात के बावजूद, पैराग्राफ 6 (बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण), पैराग्राफ 7 (गोपनीयता), पैराग्राफ 8 (स्थगन), पैराग्राफ 9 (संशोधन, परिवर्तन या संशोधन) और पैराग्राफ 10 (विवादों का निपटान) प्रतिभागियों पर बाध्यकारी होंगे।

पैराग्राफ 12

लागू होना, अवधि और समाप्ति

1. यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तिथि से प्रभावी होगा और पांच (5) वर्षों की अवधि तक लागू रहेगा।
2. इसके बाद, इस समझौता ज्ञापन को राजनयिक माध्यम से लिखित सूचना देकर किसी भी आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
3. इस समझौता ज्ञापन में किसी भी बात के बावजूद, कोई भी भागीदार इस समझौता ज्ञापन को समाप्त करने के अपने इरादे के बारे में अन्य भागीदार को राजनयिक चैनलों के माध्यम से लिखित रूप में नोटिस देकर, समाप्त किए जाने के इरादे की तिथि से कम से कम छह (6) महीने पहले सूचित करके इस समझौता ज्ञापन को समाप्त कर सकता है।
4. इस समझौता ज्ञापन की समाप्ति से उन सहयोग गतिविधियों के पूरा होने में बाधा नहीं आएगी, जिन्हें इस समझौता ज्ञापन की समाप्ति की तिथि से पहले औपचारिक रूप दिया जा सकता था, जब तक कि अन्यथा निर्णय न लिया जाए।

उपर्युक्त, इसमें उल्लिखित मामलों पर मलेशिया सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच बनी सहमति को दर्शाता है।

इसके साक्ष्य स्वरूप, अधोहस्ताक्षरी, जो अपनी-अपनी सरकार द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृत हैं, ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस समझौता ज्ञापन पर दो प्रतियों में दिनांक 28 अगस्त को वर्ष 2024 में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए हैं, तथा मलय, हिंदी और अंग्रेजी भाषा की दो-दो मूल प्रतियां तैयार की गई हैं तथा सभी पाठों की वैधता समान है। किसी भी पाठ की व्याख्या में किसी भी तरह के मतभेद की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।




मलेशिया सरकार के लिए

नाम: दातो श्री वान अहमद दहलान
हाजी अब्दुल अज़ीज

पद का नाम: महानिदेशक – लोक
सेवा, मलेशिया

विभाग: लोक सेवा विभाग,

मंत्रालय: प्रधानमंत्री विभाग,
मलेशिया सरकार



भारत गणराज्य की सरकार के लिए
(भारत गणराज्य का कार्मिक, लोक
शिकायत और पेंशन मंत्रालय)

नाम: वी. श्रीनिवास

पद: सचिव

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत
विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और
पेंशन मंत्रालय,
भारत गणराज्य

लोक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्र में सहयोग पर

मलेशिया सरकार

और

भारत गणराज्य की सरकार

के बीच

समझौता ज्ञापन

मलेशिया सरकार जिसका प्रतिनिधित्व लोक सेवा विभाग, प्रधान मंत्री विभाग द्वारा किया जा रहा है और भारत गणराज्य की सरकार जिसका प्रतिनिधित्व प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है (तत्पश्चात जिन्हें व्यक्तिगत रूप से "प्रतिभागी" और सामूहिक रूप से "प्रतिभागियों" के रूप में संदर्भित किया गया है),

दोनों देशों के बीच मौजूदा मैत्रीपूर्ण संबंधों को स्वीकार करते हुए ;

लोक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने तथा आगे बढ़ाने की आकांक्षा करते हुए,

निम्नलिखित निर्णय पर पहुँचे हैं:

पैराग्राफ 1

उद्देश्य

समझौता ज्ञापन के प्रावधानों और अपने-अपने देशों में समय-समय पर लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और राष्ट्रीय नीतियों के अध्यधीन, प्रतिभागी, पारस्परिकता और आपसी प्रसुविधा के

आधार पर दोनों देशों के बीच लोक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने, बढ़ावा देने और विकसित करने का प्रयास करेंगे।

पैराग्राफ 2

सहयोग के क्षेत्र

प्रत्येक भागीदार, अपने-अपने देशों में विषय-वस्तु को अधिशासित करने वाले, समय-समय पर लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और राष्ट्रीय नीतियों के अध्यक्ष, निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाने का प्रयास करेगा:

- (क) डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिक अभिमुख सेवाएं प्रदान करना;
- (ख) डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं के प्रभावी सुपुर्दगी के लिए सरकारी प्रक्रिया सरलीकरण और पुनर्रचना;
- (ग) सार्वजनिक सेवाओं के सुपुर्दगी में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना;
- (घ) मानव संसाधन प्रबंधन/नेतृत्व विकास;
- (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन और सुधार;
- (च) लोक शिकायत निवारण तंत्र;
- (छ) ई-गवर्नेंस/डिजिटल सरकार; और
- (ज) लोक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्र में सहयोग के अन्य क्षेत्र, जो प्रतिभागियों द्वारा इस समझौता ज्ञापन के उद्देश्य के अनुसार संयुक्त रूप से तय किए जाएंगे, जैसा कि पैरा 1 में निर्धारित किया गया है।

पैराग्राफ 3

सहयोग के रूप

1. प्रतिभागी आपसी सहमति से यह निर्णय लेते हैं कि इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सहयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा:

- (क) साझा हित के क्षेत्रों में सूचना और अनुभव का आदान-प्रदान करने के लिए प्रतिभागियों के सार्वजनिक सेवा अधिकारी के अध्ययन दौरे;

- (ख) लोक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्र में प्रतिभागियों के विशेषज्ञों द्वारा सूचना का आदान-प्रदान;
 - (ग) लोक सेवा अधिकारी के प्रशिक्षण में प्रतिभागियों के प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग;
 - (घ) प्रतिभागियों की सहमति अनुसार, संयुक्त परियोजनाओं, संयुक्त तुलनात्मक अनुसंधान और अन्य संयुक्त तंत्रों की स्थापना;
 - (ङ) प्रतिभागी अधिकारियों के लिए अल्पकालिक विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करना,
 - (च) इस समझौता ज्ञापन के दायरे में ऐसे अन्य प्रपत्र जिन पर भागीदार सहमत हो सकते हैं; तथा
2. सहयोगात्मक गतिविधियों का विवरण और व्यवस्था प्रतिभागियों की संबंधित सरकारी एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित की जाएगी।
3. प्रतिभागी समय-समय पर साक्षात् हित के क्षेत्रों और सहयोग के विभिन्न रूपों की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

पैराग्राफ 4

कार्यान्वयन

1. लोक प्रशासन और शासन सुधार पर एक संयुक्त कार्य दल (जिसे तत्पश्चात् “कार्य दल” के रूप में संदर्भित किया गया है।), जो सहयोग के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा, का गठन किया जाएगा।
2. कार्य दल के सदस्यों में शामिल होंगे--

(क) भारत गणराज्य की सरकार- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय के अधिकारी; तथा

(ख) मलेशिया की सरकार - लोक सेवा विभाग, प्रधान मंत्री विभाग के अधिकारी।

3. कार्यकारी दल, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए लोक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्र में विशेषज्ञों या अन्य योग्य व्यक्तियों को भी आमंत्रित कर सकता है, जैसा कि प्रतिभागियों द्वारा संयुक्त रूप से अनुमोदित किया जाएगा।
4. कार्य दल की बैठक, आवश्यकता पड़ने पर, प्रतिभागियों द्वारा सहमत तरीके के अनुसार आयोजित की जाएगी, जिसमें टेलीकांफ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस या आमने-सामने की बैठक शामिल है। बैठकों की अध्यक्षता संयुक्त रूप से सह-अध्यक्षता के माध्यम से की जाएगी और सचिवालय सहायता की जिम्मेदारी मेजबान प्रतिभागी द्वारा निभाई जाएगी।
5. प्रतिभागी कार्य दल की बैठक का कार्यवृत्त तैयार करने तथा समन्वय और संपर्क के लिए प्रतिभागियों की जिम्मेदारी पर सहमत होंगे, जिसमें अगली बैठक के लिए सहमति वाला एजेंडा तैयार करना भी शामिल है। प्रत्येक प्रतिभागी कार्य दल के कार्य के समन्वय और संपर्क के लिए एक संपर्क व्यक्ति को नामित करेगा।

पैराग्राफ 5

वित्तीय व्यवस्था

1. इस समझौता ज्ञापन के ढांचे के भीतर किए गए सहयोगात्मक कार्यकलापों के व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय व्यवस्था, धन की उपलब्धता के अध्याधीन, संबंधित प्रतिभागियों द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर पारस्परिक रूप से तय की जाएगी।
2. जब तक कि प्रतिभागियों द्वारा पारस्परिक रूप से अन्यथा निर्णय न लिया जाए-

- (क) इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन से उत्पन्न सहयोगी गतिविधियों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय यात्रा, आवास, वेतन, निर्वाह, और अन्य स्थानीय और आकस्मिक खर्चों के लिए किए गए व्यय, प्रत्येक भागीदार द्वारा वहन किए जाएंगे;
- (ख) मेजबान प्रतिभागी स्थानीय यात्रा और आवास के लिए रसद व्यवस्था संबंधी सहायता करेगा;
- (ग) कार्य दल की बैठकों के आयोजन का व्यय बैठकों की मेजबानी करने वाले प्रतिभागी द्वारा वहन किया जाएगा; तथा
- (घ) इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन से उत्पन्न सहयोगी गतिविधियों के संबंध में आदान-प्रदान किए गए किसी भी दस्तावेज या सामग्री के लिए किए गए व्यय का वहन अनुरोधकर्ता प्रतिभागी द्वारा किया जाएगा।

पैराग्राफ 6

बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण

1. बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण प्रतिभागियों के संबंधित राष्ट्रीय कानूनों, नियमों और विनियमों तथा दोनों प्रतिभागियों द्वारा हस्ताक्षरित अन्य अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अनुरूप लागू किया जाएगा।
2. किसी भी प्रतिभागी के नाम, लोगो और/या आधिकारिक प्रतीक का किसी भी प्रकाशन, दस्तावेज और/या पेपर पर उपयोग किसी भी प्रतिभागी की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना निषिद्ध है।
3. उप अनुच्छेद 1 में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी प्रौद्योगिक विकास, उत्पादों और सेवाओं के विकास के संबंध में बौद्धिक संपदा अधिकार, जो कि निम्नानुसार किए गए हों -
 - (क) प्रतिभागियों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए शोध या प्रतिभागियों के संयुक्त गतिविधि प्रयास के माध्यम से प्राप्त शोध परिणामों का, पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के अनुसार प्रतिभागियों द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्व होगा; तथा

(ख) पूर्णतः और अलग से किए गए शोध परिणाम या प्रतिभागी के पूर्णतः और अलग प्रयास से प्राप्त किए गए शोध परिणाम, संबंधित प्रतिभागी के पूर्णतः स्वामित्व में होंगे।

पैराग्राफ 7

गोपनीयता

1. प्रत्येक भागीदार इस समझौता ज्ञापन या इस समझौता ज्ञापन के अनुसरण में किए गए किसी अन्य समझौते के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान दूसरे भागीदार से प्राप्त या उसे प्रदान किए गए दस्तावेजों, सूचनाओं और अन्य आंकड़ों की गोपनीयता और गुप्तता बनाए रखने का वचन देगा।
2. दोनों भागीदार इस बात पर सहमत हैं कि इस अनुच्छेद के प्रावधान, इस समझौता ज्ञापन की समाप्ति के बावजूद प्रतिभागियों के बीच बाध्यकारी बने रहेंगे।

पैराग्राफ 8

स्थगन

1. कोई भी भागीदार, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हित, सार्वजनिक व्यवस्था या सार्वजनिक स्वास्थ्य के कारणों से इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन को अस्थायी रूप से, पूर्णतः या आंशिक रूप से स्थगित कर सकता है।
2. स्थगन, राजनयिक चैनल के माध्यम से लिखित अधिसूचना के तीस (30) दिन बाद या नोटिस की तारीख से प्रभावी होगा, यदि स्थगित करने वाला प्रतिभागी तत्काल स्थगन को आवश्यक समझता है।
3. स्थगित करने वाला प्रतिभागी राजनयिक माध्यम से लिखित अधिसूचना द्वारा स्थगन समाप्त कर सकता है।

4. स्थगन की समाप्ति, अनुच्छेद 3 में उल्लिखित लिखित अधिसूचना के तीस (30) दिन बाद या राजनयिक चैनलों के माध्यम से नोड के आदान-प्रदान में प्रतिभागियों द्वारा सहमत किसी पूर्व तिथि से प्रभावी होगी।

पैराग्राफ 9

परिवर्तन, आशोधन या संशोधन

1. कोई भी भागीदार, इस समझौता ज्ञापन के संपूर्ण या किसी भाग के संशोधन, परिवर्तन या संशोधन का लिखित रूप में अनुरोध कर सकता है।
2. प्रतिभागियों द्वारा सहमत किसी भी संशोधन, परिवर्तन या संशोधन को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और वह इस समझौता ज्ञापन का हिस्सा होगा।
3. ऐसा संशोधन, परिवर्तन या संशोधन उस तिथि से लागू होगा जो प्रतिभागियों द्वारा निर्धारित की जाएगी।
4. किसी भी संशोधन, परिवर्तन या संशोधन से इस समझौता ज्ञापन से उत्पन्न होने वाले या इस पर आधारित लाभों और प्रतिबद्धताओं पर ऐसे संशोधन, परिवर्तन या संशोधन की तिथि से पहले या उस तिथि तक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पैराग्राफ 10

विवादों का निपटारा

समझौता ज्ञापन के किसी भी प्रावधान की व्याख्या और/या कार्यान्वयन और/या लागू होने के संबंध में प्रतिभागियों के बीच कोई मतभेद या विवाद, किसी तीसरे पक्ष या अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के संदर्भ के बिना, राजनयिक चैनलों के माध्यम से प्रतिभागियों के बीच आपसी परामर्श और/या बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा।

पैराग्राफ 11

समझौता ज्ञापन का प्रभाव

1. यह समझौता ज्ञापन केवल प्रतिभागियों के इरादों के अभिलेख के रूप में कार्य करता है तथा यह अंतरराष्ट्रीय या घरेलू कानून के अंतर्गत दायित्वों का गठन या सृजन नहीं करता है, तथा किसी कानूनी प्रक्रिया को जन्म नहीं देगा तथा इसे किसी कानूनी रूप से बाध्यकारी या लागू करने योग्य, व्यक्त या निहित दायित्वों का गठन या सृजन करने वाला नहीं माना जाएगा।
2. उपरोक्त उपपैरा 1 में किसी बात के बावजूद, पैराग्राफ 6 (बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण), पैराग्राफ 7 (गोपनीयता), पैराग्राफ 8 (स्थगन), पैराग्राफ 9 (संशोधन, परिवर्तन या संशोधन) और पैराग्राफ 10 (विवादों का निपटान) प्रतिभागियों पर बाध्यकारी होंगे।

पैराग्राफ 12

लागू होना, अवधि और समाप्ति

1. यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तिथि से प्रभावी होगा और पांच (5) वर्षों की अवधि तक लागू रहेगा।
2. इसके बाद, इस समझौता ज्ञापन को राजनयिक माध्यम से लिखित सूचना देकर किसी भी आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
3. इस समझौता ज्ञापन में किसी भी बात के बावजूद, कोई भी भागीदार इस समझौता ज्ञापन को समाप्त करने के अपने इरादे के बारे में अन्य भागीदार को राजनयिक चैनलों के माध्यम से लिखित रूप में नोटिस देकर, समाप्त किए जाने के इरादे की तिथि से कम से कम छह (6) महीने पहले सूचित करके इस समझौता ज्ञापन को समाप्त कर सकता है।
4. इस समझौता ज्ञापन की समाप्ति से उन सहयोग गतिविधियों के पूरा होने में बाधा नहीं आएगी, जिन्हें इस समझौता ज्ञापन की समाप्ति की तिथि से पहले औपचारिक रूप दिया जा सकता था, जब तक कि अन्यथा निर्णय न लिया जाए।

